फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : दिलीप कुमार   बनाम   विपक्षी : राज. राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम   पत्रावली संख्या : 16 / 23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 21.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। राजपरोकार उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 1620 श.न. 1626, 1628, 1627 में किस्म रास्ता दर्ज नहीं था जबकि नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त आराजी नम्बर के नये आराजी नम्बर 1933 किस्म रास्ता दर्ज कर दिया गया जिसे दुरस्त कर प्रार्थनाग्रस्त आराजी की किस्म पुनः साबिक रेकर्ड अनुसार किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 1620श. न. 1626,1628 की किस्म बीड प्रथम व साबिक आराजी नम्बर 1627 की किस्म खादी प्रथम दर्ज थी जबकि नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक आराजी नम्बर के नये आराजी नम्बर 1933 बने जिसमें त्रुटि से किस्म रास्ता दर्ज कर दिया गया जिसे संशोधित कर प्रार्थनाग्रस्त आराजी की किस्म पुनः साबिक रेकर्ड अनुसार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम भीण्डर के वर्तमान आराजी न. 1933 रकबा 0.2100 है. किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड है किन्तु मौके पर उक्त आराजी की भूमि पडत होकर बीड के रूप में पडी है तथा उक्त भूमि में बरसाती पानी बहाव होकर निशान बने है। मौके पर उक्त भूमि पर कभी भी रास्ता होने जैसा प्रतीत नहीं होता है। पूर्व जमाबंदी सम्वत 2068–71 के आराजी न. 1620श.न. 1626,1628,1627 में भी किस्म रास्ता दर्ज नहीं था लेकिन वक्त सेटलमेंट के उक्त आराजीयात की किस्म रास्ता दर्ज कर दिया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौके पर उपस्थित खातेदारान अनुसार दुसरे आगे के खातेदारान को अपनी कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए हमारी खातेदारी भूमि से अलग से रास्ता दिया हुआ है जो कि राजस्व रिकार्ड में भी आराजी न. 1937 रकबा 0.1300 है. भूमि किस्म रास्ता दर्ज हो चुका है तथा उक्त आराजी न. वर्तमान में चालु होकर रास्ते में बैलगाडी आदि के पहियों की गडार बनी होकर रास्ता सुचारू है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट में बताया कि आराजी न. 1933 रकबा 0.2100 है. किस्म रास्ता को परिवर्तन किया जाता है तथा रास्ता किस्म हटाया जाता है तो भी अन्य खातेदारान व काश्तकारों के आवागमन पर कोई प्रभाव नही पडेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमने पाया कि प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर कीं किस्म रास्ता दर्ज नही था जो जमाबंदी संवत 2068–71 से स्पष्ट होता है जबकि नवीन सेंटलमेंट के बाद उक्त आराजीयात की किस्म रास्ता दर्ज कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थनाग्रस्त आराजी मौके पर पड़त होकर बीड के रूप में पडी होना बताया तथा उक्त भूमि पर कभी भी रास्ता होने जैसा प्रतीत नही होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि आराजी न. 1933 की किस्म रास्ता को परिवर्तन किया जाता है तो आवागमन पर कोई प्रभाव नही पडेगा। अतः पत्रावली [illegible] दस्तावेज व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:37:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत 2078–81 की खाता संख्या नया 1418 की आराजी नम्बर 1933 रकबा 0.2100 है. की किस्म रास्ता के बजाय साबिक आराजी नम्बर 1620 श.न. 1626, 1628, 1627 की किस्म के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।